झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
**कार्यालय: वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर**
संयुक्त वन भवन, बेलाबगान, जसीडीह रोड, देवघर -814112
फ़ोन/फैक्स : 06432-232397, मोबाइल : 9431137795, ई-मेल : dfo-deoghar@gov.in, dfo.deoghar2@gmail.com

पत्रांक 1078 देवघर, दिनांक 01.08.2022

सेवा में,

Online E.D.S

Senior Manager,
Office of Deputy General Manager,
Transmission Circle, Dumka, AT- Maharo (Dumka),
Jharkhand-814110.
e-mail Id : star.mit2004@gmail.com

विषय : देवघर वन प्रमंडल, देवघर अन्तर्गत प्रस्तावित 132 के०भी० डी/सी हँसडीहा–जसीडीह विद्युत संचरण पथ के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् प्राप्त प्रस्ताव **(FP/JH/TRANS/151768/2022)** के संबंध में।

प्रसंग : परिवेश पोर्टल पर प्राप्त प्रस्ताव सं०– **(FP/JH/TRANS/151768/2022)**

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित परियोजना हेतु प्राप्त प्रस्ताव का कार्यालय/वनभूमि अभिलेख से मिलान किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियाँ/त्रुटियाँ पायी गयी है :–

1. भूमि किस्म प्रमाण पत्र के कई पृष्ठ अपठनीय है, पठनीय भूमि किस्म प्रमाण पत्र टंकित Land Schedule के साथ समर्पित किया जाए।
2. समर्पित भूमि किस्म प्रमाण पत्र में भूमि किस्म अंकित नहीं है अथवा अभिलेख जीर्ण–शीर्ण अंकित है। ऐसी भूमि के संबंध में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के आदेश संख्या–05/स०भू० लातेहार (विविध)–181/18 (छाया संचिका)–4715 व०प०, राँची, दिनांक 27.11.2018 के आलोक में प्रपत्र 01 तथा प्रपत्र 02 में प्रमाण पत्र एवं वचनबद्धता पत्र समर्पित किया जाए। (पत्र की छायाप्रति संलग्न)
3. परियोजना का सरकार/सक्षम स्तर से निर्गत स्वीकृत्यादेश संलग्न नहीं है।
4. Plan and Eligation Map अप्राप्त है।
5. वनभूमि का Purpose wise breakup यथा कितनी भूमि का टावर/केबल इत्यादि हेतु प्रयोग होगा कि पूर्ण विवरणी।
6. वैकल्पिक संचरण पथों का तुलनात्मक विवरणी संलग्न नहीं है।
7. परियोजना में सन्निहित गैर–मजरूआ Deemed Forest (जंगल झाड़ी, जंगल साखू, पलास जंगल, जंगल इत्यादि) भूमि के अपयोजन हेतु उपायुक्त, देवघर द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
8. विषयक परियोजना हेतु ग्राम सभा का संकल्प/कार्रवाई/सहमति संलग्न नहीं है।
9. सक्षम स्तर द्वारा वन्यप्राणी प्रबंधन योजना हेतु शर्त्त लगाये जाने पर उक्त मद में राशि जमा किये जाने तथा निदेश/अनुदेश का अनुपालन करने संबंधी वचनबद्धता पत्र समर्पित किया जाए।
10. उपायुक्त, देवघर द्वारा निर्गत वनाधिकार से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, न ही इस आशय का प्रमाण पत्र/अभिलेख समर्पित किया गया है कि वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गयी है।

11. वृक्षों की संयुक्त गणना सूची संलग्न नहीं है।

12. अपयोजित होने वाली वनभूमि का ग्रामवार जी॰ओ॰ रिफरेन्स मैप संलग्न नहीं है।

13. प्रस्तावित परियोजना यदि रक्षा मंत्रालय की परियोजना के निकट (त्रिकुट पहाड़) से गुजरती हो तो रक्षा मंत्रालय के स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा।

14. चूँकि प्रस्तावित परियोजना में क्षतिपूरक वनरोपण अवकृष्ट वनभूमि पर प्रस्तावित है। अतः अपयोजित होने वाली वनभूमि के दोगुणे क्षेत्रफल पर DGPS सर्वे सम्पादित कराते हुए क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित वनभूमि को मौजा मानचित्र पर दर्शाते हहुए मौजा मानचित्र, Geo-referenced मानचित्र, टोपोग्राफिकल मानचित्र हार्ड कॉपी तथा साफ्ट कॉपी (सी॰डी॰ में) समर्पित किया जाए। स्थल चयन हेतु अनुरोध पत्र अद्यतन अप्राप्त है।

विदित हो कि अभी तक Total Forest Area Freezed नहीं किया गया है। जाँच/परिशीलन के क्रम में वनभूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि होने की स्थिति में तद्नुरूप ऑनलाईन तथा ऑफलाईन संबंधित सभी अभिलेख में संशोधन किया जाना अनिवार्य होगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में याचित सभी अभिलेख समर्पित किया जाए, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन

वन प्रमंडल पदाधिकारी
देवघर वन प्रमंडल, देवघर

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

## आदेश

संख्या–05 / स0भू0 लातेहार (विविध)–181 / 18 (छाया संचिका)–4715 व0प0, राँची, दिनांक 29/11/2018

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा सूचित किया गया है कि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण वन भूमि अपयोजन के कुछ प्रस्तावों में जंगल–झाड़ी भूमि के चिन्हितीकरण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड का प्रस्ताव है कि कैडेस्ट्रल सर्वे (CS), या रिविजनल सर्वे होने की स्थिति में 25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिविजनल सर्वे (RS), के अभिलखों की अनुपलब्धता की स्थिति में वन भूमि अपयोजन प्रस्तावों में 25.10.1980 के बाद प्रकाशित रिविजनल सर्वे (RS) में दर्ज भूमि की प्रकृति के आधार पर भू–विवरणी (Land Schedule) को स्वीकार किया जाए। साथ ही प्रयोक्ता अभिकरणों से यह बचनबद्धता प्राप्त की जाए कि यदि भविष्य में 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर, ऐसे भू–खण्डों की प्रकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वन भूमि पाई जाती है तो इन भू–खण्डों के लिए भी Forest Clearance प्राप्त की जाएगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक–17–43 / 2018–FC दिनांक–15.10.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि :–

Change of status in any land recorded as "Forest" in any Govt. record as on 25.10.1980 will come within the provision of the Forest (Conservation) Act, 1980.

उपरोक्त के आलोक में स्पष्ट है कि वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों में कैडेस्ट्रल सर्वे (CS), या रिवीजनल सर्वे होने की स्थिति में 25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) में दर्ज भूमि की प्रकृति के आधार पर ही जंगल–झाड़ी श्रेणी की भूमि का चिन्हितीकरण किया जाना चाहिए ।

3. किसी भी वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव में शामिल वैसे प्लॉट, जिनकी प्रकृति कैडेस्ट्रल सर्वे (CS), या रिवीजनल सर्वे होने की स्थिति में 25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS), के अभिलेख की अनुपलब्धता के कारण अस्पष्ट है, उनमें पड़नेवाली गैर अधिसूचित वन भूमि की प्रकृति के संबंध में संबंधित उपायुक्त द्वारा 25.10.1980 के बाद प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) के आधार पर इस आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र–। में प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत उपर्युक्त प्रमाण पत्र के क्रम में परियोजना प्रस्तावक (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा इस आदेश के साथ संलग्न प्रपत्र–॥ में वचनबद्धता समर्पित की जाएगी। उपायुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित बचनवद्धता प्राप्त होने के पश्चात् ही संबंधित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

Vijay /vanvumi 559

4. इस आदेश से प्रभावित किसी भी वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर स्टेज–। या स्टेज–।। की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा ही निर्गत की जाएगी ।

5. विषयगत प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–05/स0भू0 लातेहार (विविध)–181/18 (छाया संचिका)– व0प0, राँची दिनांक–
प्रतिलिपिः–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जौरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

ह0/–
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–05/स0भू0 लातेहार (विविध)–181/18 (छाया संचिका)–4315 व0प0, राँची दिनांक–22/11/2018
प्रतिलिपिः–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं त्वरित कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनु0–यथोक्त।

22/11/18
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रपत्र–I

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्लॉट संख्या–..... मौजा–..... खाता संख्या–.....अंचल–..... जिला–..... में सन्निहित भूमि का कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) का अभिलेख अथक प्रयासों के पश्चात् भी विभिन्न राजस्व अभिलेखागारों, अंचलाधिकारी कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू–अर्जन कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय, राजकीय मुद्रणालय आदि में उपलब्ध नहीं हो पाया अथवा जीर्ण–शीर्ण/कटे–फटे अवस्था में है तथा अपठनीय है।

अतः 25.10.1980 को वर्णित भूमि का किस्म क्या था यह पता नहीं चल पा रहा है। संबंधित भूमि का अभिलेख वर्ष ..... में प्रकाशित वर्तमान रिवीजनल सर्वे के आधार पर उपलब्ध है, जो निम्नवत् हैः–

| क्र0सं0 | मौजा/गाँव का नाम | थाना/थाना नं0 | प्लॉट सं0 | रकबा | भूमि की प्रकृति |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

अतः स्पष्ट है कि वर्ष ..... में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे के अनुसार उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणी में नहीं आती है।

उपरोक्त संबंध में यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल–झाड़ी आदि (deemed forest) के रूप में पायी जाती है, तो इसे तत्काल सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रयोक्ता अभिकरण को सूचित किया जाएगा एवं इसके अनुसार संबंधित प्रयोक्ता अभिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत परियोजना में सम्मिलित उक्त चिन्हित वनभूमि के अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित करने हेतु बाध्य होंगे।

उपायुक्त

.....

4715
27/11/2018

## प्रपत्र–II

### वचनबद्धता

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत समर्पित वनभूमि अपयोजन परियोजना प्रस्ताव संख्या–.....में सन्निहित Land Schedule में प्लॉट संख्या के संबंध में कैडेस्ट्रल सर्वे (CS)/25.10.1980 के पूर्व प्रकाशित अंतिम रिवीजनल सर्वे (RS) के अभिलेख उपलब्ध नहीं होने/जीर्ण–शीर्ण/कटे–फटे अवस्था में तथा अपठनीय होने का प्रमाण पत्र उपायुक्त कार्यालय के ज्ञापांक–..... दिनांक–..... के द्वारा निर्गत किया गया है। वर्ष ..... में प्रकाशित रिवीजनल सर्वे में उक्त भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजन हेतु वनभूमि की श्रेणीं में नहीं आती है। यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में यदि 25.10.1980 के पूर्व के सर्वे अभिलेखों के आधार पर उक्त भूमि की प्रकृति वन/जंगल–झाड़ी आदि (deemed forest) के रूप में पायी जाती है तो उक्त भूमि हेतु अलग से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।

4715
27/11/2018

प्रयोक्ता अभिकरण
(नाम/पदनाम/प्रतिष्ठान)